SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARTIYA NAGRIK SURAKSHA SANHITA, 2023

in the Court of **प्राची शर्मा उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी (म.प्र.)**

SUM Case No. **455/2026**
Complaint or report made on FIR/P.O.R.No- **954/2026**

Name and address of the Complainant :- **म.प्र. राज्य द्वारा आबकारी वृत्त शिवपुरी म.प्र.**

Name, Parentage, Caste and Address of accused

अभियुक्त का नाम– **रानी बंजारा पत्नि श्री विजय बंजारा आयु 35 साल, निवासी नोहरीकला बंजारो का डेरा शिवपुरी म.प्र.**

The offence complained of and date of its alleged commission --

---

आप अभियुक्त पर अभियोग है किः–

आप दिनांक 07.03.2026 को समय 05:55 बजे के लगभग नौहरीकला शिवपुरी में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 800 एमएल हाथभट्टी मदिरा रखे पाया गया।

इस प्रकार आपने वह कार्य किया जो धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। क्या आप अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा विचारण चाहते हो?

सही/–

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म0प्र0)

The plea of the accused and his examination (if any) -

अभियुक्त का अभिवाक् है कि :–

सही/–

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म0प्र0)

//निर्णय//

(आज दिनांक 09.06.2026 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है कि आप दिनांक 07.03.2026 को समय 05:55 बजे के लगभग नौहरीकला शिवपुरी में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 800 एमएल हाथभट्टी मदिरा रखे पाया गया।

02— समरी शीट पर अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् उसके शब्दों में लेखबद्ध गया।

03— अभियुक्त द्वारा अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। तद्नुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर, अभियोजन साक्ष्य को आहूत किया जाना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त द्वारा की गई जुर्म की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) का अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण, उसे उक्त अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

04— अभियुक्त समान अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध के तहत दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं **1000/— रूपये** के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

05— प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

06— निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

सही/—
(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/—
(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म.प्र.)